नेमीचंद बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 04 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023 / 18

गई एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकोर्ड दुरस्ती करने का निवेदन किया।

निवेदन प्रार्थी का सूना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा मोतीनगर के खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1212 रकबा 7.9399 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1500 रकबा 2.9056 हैक्टेयर में दर्ज नेमाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज, प्रार्थी का आधारा कार्ड नम्बर 5534 5942 7940 में प्रार्थी का नाम नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार के जवाब अनुसार प्रार्थी का नाम नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगीं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा मोतीनगर के खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1212 रकबा 7.9399 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1500 रकबा 2.9056 हैक्टेयर में दर्ज नाम नेमाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : **आदेशः** : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा मोतीनगर के खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1212 रकबा 7.9399 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 3.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1500 रकबा 2.9056 हैक्टेयर में दर्ज **नाम नेमाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण** दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 22/03/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner